

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएं;

- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ग) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;

(त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;

3. लागू होना.— (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

(2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

(3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना.— वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भरती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भरती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भरती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. अर्हकारी अंक.— (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 9 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्ह अंक होंगे।

(2) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन यथा नियत न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर मण्डल द्वारा अर्हित अभ्यर्थियों की नियम 7 में यथा उल्लिखित समूह वार/प्रवर्गवार सूची तैयार की जाएगी तथा विभागों/उपक्रमों द्वारा मांगे जाने पर अर्हित अभ्यर्थियों के नाम यथास्थिति विभागों/उपक्रमों को प्रेषित किए जाएंगे।

(3) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि—

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार.— (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें नियम 7 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों /संस्थाओं /निगमों /मण्डलों /आयोग /स्वायत्तशासी निकायों/ सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. सेवा समूह.— विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् :-

तालिका

सरल क्रमांक	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह—एक	सहायक प्रोग्रामर/सहायक प्रबंधक/सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी/सहायक उद्यान विकास विस्तार अधिकारी/मण्डी निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक/खाद्य एवं औषधि निरीक्षक/पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी/जनसंपर्क सहायक/अन्वेषक/उद्योग निरीक्षक/मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण/सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)/राजस्व निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष संवर्ग/पद।	तृतीय श्रेणी

2.	समूह-दो	उपयंत्री (सिविल), उपयंत्री (विद्युत्)/कनिष्ठ उपयंत्री(विद्युत् वितरण कंपनी) तथा इसी प्रकार के समकक्ष तकनीकी संवर्ग/पद।	तृतीय श्रेणी
3.	समूह-तीन	सहायक ग्रेड-3/स्टेनो टायपिस्ट/आशुलिपिक/आई.टी. ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/सहायक मानचित्रकार/अनुरेखक/पटवारी /अमीन/पंजीयन लिपिक/इलेक्ट्रिशियन/रोकड़िया/ स्टोर कीपर/लायब्रेरियन/प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्रकार के समकक्ष संवर्ग/पद।	तृतीय श्रेणी
4.	समूह-चार	लेब टेक्निशियन/रेडियोग्राफर/स्टॉफ नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट ए. एन.एम./दाई एवं सभी प्रकार के अन्य समकक्ष (सहचिकित्सा)/पद।	तृतीय श्रेणी

संविदा शिक्षक वर्ग एक, दो, एवं तीन के लिए मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं चयन परीक्षा न होकर "पात्रता परीक्षा" होगी इसलिए संविदा शिक्षक वर्ग एक, दो एवं तीन के लिए पृथक् परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी तथा वे नियम 7 के अधीन उल्लिखित चार समूहों में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। संविदा शाला शिक्षकों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं नीचे दी गई हैं, अर्थात् :-

तालिका

सरल क्रमांक	शैक्षणिक अर्हता	प्रवेश स्तर परीक्षा का विवरण
(1)	(2)	(3)
(1)	स्नातकोत्तर	संविदा शिक्षक वर्ग-1
(2)	स्नातक	संविदा शिक्षक वर्ग-2
(3)	कक्षा 12वीं	संविदा शिक्षक वर्ग-3

8. विभाग/उपक्रमों के मांग पत्र.- सभी विभाग/उपक्रम ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भरे जाने हैं तथा जिनके आगामी भरती वर्ष में रिक्त होने की संभावना है, मांग पत्र मण्डल को प्रत्येक भरती वर्ष के 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

(2) विभाग/उपक्रम मण्डल को मांगपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजेंगे :-

(क) मण्डल के मांगपत्र में भरे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव;

(ख) परीक्षा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी के पद का नाम तथा पता;

(ग) राजपत्र में प्रकाशित भरती नियम की एक प्रति;

(घ) आरक्षित वर्ग के पदों का विवरण दर्शाने वाली तालिका।

परीक्षा का आयोजन.— (1) परीक्षा प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च माह के मध्य ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से मण्डल द्वारा विहित किए गए अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) ऊपर नियम 7 में उल्लिखित 4 समूहों के लिए परीक्षा विभिन्न भागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/पद के लिए पृथक् पृथक् रूप से आयोजित की जाएगी।

(3) संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी, अर्थात् :-

तालिका

स. क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	समूह—एक	02	200	(क) सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान—100 अंक (ख) संबंधित विषय—100 अंक
2	समूह—दो	02	200	(क) सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान—100 अंक (ख) संबंधित विषय—100 अंक
3	समूह—तीन	01	100	सामान्य अभिरूचि, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान, सामान्य गणित—100 अंक
4	समूह—चार	01	100	सामान्य अभिरूचि, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित — 100 अंक

10. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं— (1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी, अर्थात् :-

समूह—एक अभ्यर्थियों ने विभागों के संबंधित भरती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो।

समूह—दो अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ ही साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में तीन वर्षीय पत्रोपाधि उत्तीर्ण की हो।

समूह—तीन अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हो। कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में टायपिंग की दक्षता, आशुलिपिक के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद् से अंग्रेजी/हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो तथा स्टेनो टायपिस्ट के लिए अभ्यर्थी के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर यथा मान्य अंग्रेजी/हिंदी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो।

समूह—चार अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास संबंधित पद के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र/पत्रोपाधि हो।

(2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थिता की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा

में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

- (3) **आयु सीमा.**— उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु—सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु—सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी:

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी:

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परन्तु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना.—

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए:

परंतु आदिम जनजातियों जैसे कि बैगा, सहरिया तथा भारिया के अभ्यर्थी ऑनलाइन पद्धति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध नहीं होंगे। वे ऐसे तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि मण्डल द्वारा उसके विज्ञापन में उल्लिखित किया जाए।

- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लिखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक् पृथक् उपस्थित होना होगा।

12. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना.—

- (1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 7 में यथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है

तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात्, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक् पृथक् सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम हारिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित हारिजेन्टल श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में हारीजेन्टल आरक्षण संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

13. नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाएं.—

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 12 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहां अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लिखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

(4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से, जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लिखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

14. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि.—

- (1) किसी भरती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।
- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा:

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया.—

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर, विभाग, शैक्षणिक तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित किए

जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।

- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

16. आरक्षण.— (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा:—

अनुसूचित जनजाति	—	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति,	—	16 प्रतिशत.
अन्य पिछड़े वर्ग	—	14 प्रतिशत :

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

- (2) क्षैतिज आरक्षण.—

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2-2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा :

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः

तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्ररूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

17. आवेदन शुल्क.—

आवदेन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू है, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है:

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता.—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी अपने निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र चुनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची, यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19. परीक्षा केन्द्र.—

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएं मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएं करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। "इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएं अत्यावश्यक सेवाएं होंगी।"

20. निरर्हता.— (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लिखित है जो वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति.—

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

22. आवेदनों का रद्द किया जाना.—

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्ररूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा.— (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार.— किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने —
- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

No. C 3-10/2013/1/3.—In exercise of the powers conferred under article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for recruitment on such posts under various Departments / Institutions which are outside the ambit of the Madhya Pradesh Public Service Commission through a Joint Selections Examination and fix a criteria as under, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Junior Service (Joint Qualifying) Examination Rules, 2013.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Appointing Authority" means the authority which is competent to make appointment to the post concerned;
- (b) "Cut off marks" means the minimum cut off marks fixed for qualifying in the Madhya Pradesh Junior Service (Joint Qualifying) Examination;
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (e) "Institution" means various Corporations/Boards/Organizations/Commissions regulated by the Government departments;
- (f) "Junior Services (Joint Qualifying) Examination" means the examination conducted by the Madhya Pradesh Vyasayik Pariksha Mandal for recruitment on all the posts which have been kept outside the ambit of the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (g) "List of successful candidates" means the list of candidates in the descending order based on the minimum cut off marks achieved in the Madhya Pradesh Junior Service (Joint Qualifying) Examination;
- (h) "Other Backward Classes" means other backward classes of citizens as specified in the notification No.F-85/XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended by the State Government, from time to time;
- (i) "Physically challenged persons" means persons coming under the provision of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);
- (j) "Post" means all the posts of various departments/institutions of the State which are outside the ambit of Public Service Commission;
- (k) "Recruitment year" means the period from 1st January to 31st December of the year concerned;
- (l) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

- (m) "Scheduled Tribes" means any tribes or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (n) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (o) "Undertaking" means the Undertaking declared by the State as the Boards, Corporations, Commissions, Autonomous Bodies, Societies, Co-operative Banks of the State;
- (p) "VYAPAM" means the Madhya Pradesh Professional Examination Board.

3. **Applicability.**—(1) These rules shall be applicable to all the departments/institutions of the State.

(2) For filling up of all posts relating to the Government department, office of the Head of the Departments and Institutions, the selection shall be done by the Board, under the rules as per the criteria fixed by it. All the departments/institutions shall be restricted from conducting such selections at their own level or through any other agency.

(3) Provisions expressed in these rules shall not have any adverse effect to on the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

4. **Recognition of Departmental Recruitment Rules.**—All the provisions which have been added in these rules but not incorporated by all the departments in their respective departmental recruitment rules, shall be amended and be incorporated by all the departments in their respective recruitment rules and shall be deemed to have been amended accordingly till the same are not incorporated by the various departments in their respective recruitment rules.

5. **Cut off marks.**—(1) Only those candidates shall be included in the list of successful candidates who have achieved minimum marks out of the maximum marks as are fixed group wise in rule 9 for this purpose. The cut off marks for the candidates of unreserved categories shall be 50%, 40% for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and for the physically challenged candidates by giving relaxation of maximum 10% marks.

(2) On scoring the minimum cut off marks obtained as fixed under sub-rule (1) of rule 5 the group wise/category-wise as mentioned in rule 7 a list of qualifying candidates shall be prepared by the Board and on demand by the departments/undertaking, the names of qualified candidates shall on such demand remitted to the departments/undertakings, as the case may be.

(3) In the results of examination conducted under these rules only the eligible candidates shall be placed in the qualifying list but eligible candidates shall not have any right of appointment, unless,—

- (a) any department/undertaking makes a demand to the Board, for the vacant post;
- (b) the name of the candidate is forwarded to the demanding department/undertaking;
- (c) the candidate has fulfilled all the eligibility fixed by the Board for appointment; and
- (d) department has issued order of appointment in favour of the candidate.

6. **Scope.**—(1) All the Departments/Undertakings of the State shall fill their vacancies from the list of successful candidates finalized by the Board, including the posts to be created in future as mentioned in rule 7.

(2) The Board shall also forward the names of the eligible candidates to all the departments/institutions/Corporations/Boards/Commission/Autonomous Bodies/Societies/Co-operative Banks, if so demanded by them.

7. **Service Group.**—The service groups for different posts, for which the examination shall be conducted are as given in the table below, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Service Group (2)	Cadre of Post/Designation (3)	Class (4)
1.	Group-I	Assistant Programmer/Assistant Manager/Assistant Agriculture Development Extension Officer/ Assistant Garden Development Extension Officer/Mandi Inspector/ Food Inspector /Food and Medicines Inspector/ Supervisor, Women and Child Development/ Assistant Statistical Officer/ Assistant Veterinary Area Officer/ Public Relations Assistant/ Investigator/Industry Inspector/Board Coordinator, Tribal Welfare/Assistant Land Conservation Officer (Agriculture)/ Revenue Inspector and other equivalent Cadres/Posts.	Class-III
2.	Group-II	Sub-Engineer (Civil), Sub-Engineer (Electrical) /Junior Engineer (Electricity Distribution Company and such types of equivalent technical cadres/posts).	Class-III
3.	Group-III	Assistant Grade-III / Steno-typist / Stenographer / Information Technology Operator/Computer Operator/ Data Entry Operator Assistant Draftsman/ Tracer/ Patwari/ Ameen/ Registration Clerk/ Electrician/Cashier/Storekeeper/Librarian/Training Officer (Industrial Training Institute)/all types of equivalent cadres/posts.	Class-III
4.	Group-IV	Laboratory Technician/Radiographer/Staff Nurse/Physiotherapist/ A.N.M./Midwife and All types of equivalent paramedical cadres/posts.	Class-III

The examinations conducted by the Board for contractual teachers group I, II, and III shall only to test the eligibility and not for the selection. Therefore, separate examination shall be conducted for the contractual Teacher Group – I, II and III and they shall not be included in the aforesaid four groups mentioned under rule 7 above. The details of educational qualification for the contractual teachers are given below, namely :—

S.No.	Educational Qualification	Details of Entry Level Posts
(1)	(2)	(3)
(1)	Post Graduate	Contractual Teacher Group-1
(2)	Graduate	Contractual Teacher Group-2
(3)	Class-12th	Contractual Teacher Group-3

8. **Requisition Forms of the Department/Undertakings.**—All the Departments/Undertakings shall send their requisition forms to the Board essentially by 30th September every recruitment year for all such posts which are to be filled and likely to fall vacant in the ensuing recruitment year.

(2) The Departments/Undertakings shall send the requisition form along with the following information to the Board :—

- Proposal for the posts to be filled in the Requisition Form of the Board;
- Name of post and address of the concerned Nodal Officer for the Examination;

- (c) A copy of the recruitment rules published in the official Gazette;
- (d) Table showing the details of the post of the reserved category.

9. **Conduct of the examination.**—(1) The examination shall be conducted as prescribed by the Board through offline or online system between the months of January to March every year.

(2) The examination for 4 groups mentioned in rule 7 above shall be conducted separately for each cadre/post based on the curriculum finalized by the Board for different parts.

(3) The plan for Joint qualifying examination shall be as given in the table below, namely :—

TABLE

S. No.	Group	Total No. of Question paper.	Total Marks	Details of Question paper.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Group – I	02	200	(a) General Reasoning Ability, General knowledge, General Hindi, General English, General Mathematics, General Science and General Computer literacy –100 marks. (b) Concerned Subject – 100 marks.
2.	Group – II	02	200	(a) General Reasoning Ability, General Knowledge, General Hindi, General English, General Mathematics, General Science and General Computer Literacy – 100 marks. (b) Concerned Subject – 100 marks.
3.	Group – III	01	100	General Awareness, General Knowledge, General Hindi, General English, General Computer Literacy, General Mathematics —100 marks.
4.	Group – IV	01	100	General Awareness, General Knowledge, General Hindi, General English, General, Mathematics –100 marks.

10. **Conditions of Eligibility as Educational / Technical / Professional Qualifications.**—(1) It shall be mandatory for the candidate to hold the educational / technical / professional qualifications as per the provisions of Departmental Recruitment Rules of the demanding department, on the date of submission of his application, such qualifications shall necessarily be mentioned in the Requisition Form of the Department sent to the Board by the demanding department. The following educational qualification shall be mandatory for the examination of different groups of posts, namely:—

- Group –I Candidates must have passed a Bachelors Degree in any respective subject as desired under the concerned recruitment rules of departments.
- Group – II Candidates must have passed Higher Secondary Examination as well as three years diploma in the concerned Engineering subject.
- Group –III Candidates must have passed Higher Secondary Examination and must have diploma in Computer Application / Certificate from the recognized University. Proficiency in Hindi Typing on Computer at a speed of 30 words per minute, for stenographer the candidate must have passed the English/

Hindi Shorthand Examination at a speed of 100 words per minute from any recognized Institution/ Council and for Steno-typist the candidate must have a speed in English/Hindi Shorthand of 80 words per minute as recognized by the General Administration Department, from time to time.

Group- IV

Candidate must have passed Higher Secondary Examination with Science subject and having the necessary testimonial diploma for the captioned post.

(2) Candidates have to give their preferences for the post applied. If any candidate qualifies in the examination and his candidature is recommended by the Board and if he does not fulfill the criteria fixed for appointment and the appointment order is not issued to him, in such a case, his candidature shall be rejected and the same shall be non-transferrable for other post and the candidate shall be liable for such rejection and not the Board.

(3) **Age limit.**—The minimum age limit shall be 18 years and maximum age limit shall be 40 years for all the posts, for which the Board is conducting the examinations for Joint Junior Services. The age limit shall be 45 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Backward Classes Government Servant working in Departments / Corporations / Boards / Commissions / Autonomous Bodies / Home Guards and Women candidates. The amendments issued for maximum age limit by the General Administration Department shall be deemed to be applicable, from time to time. The age limit shall be reckoned as on 1st January of the current year of recruitment :

Provided that the maximum age limit shall not be applicable for the executive posts of Home (Police), Excise and Jail department. For executive posts in such a department, the upper age limit shall be Applicable as is prescribed in their recruitment rules :

Provided further that the relaxation for the upper age limit which has to be extended to the physically challenged / ex-serviceman shall be as per the Orders / Guidelines issued by the General Administration Department, from time to time:

Provided also that in no case maximum age limit shall exceed 45 years including all relaxations to all categories.

11. Submission of application by the candidates.—(1) The Board shall conduct joint examination every year, for any group or post by issuing an advertisement wherein the last date for submission of application shall be mentioned, the candidates shall submit their applications online or offline or as instructed by the Board. The application should reach in the Office of the Board within office hours on the due date positively :

Provided that the candidates of primitive tribes such as Baiga, Sahariya and Bhariya shall not be bound to submit applications as online system. They can submit their application forms by such a method which shall be mentioned by the Board in their Advertisement.

(2) Applications received after the last due date shall stand cancelled and Board shall not be liable to give any written information to the candidates.

(3) Candidates can give option for more than one post and he shall mention his priority and mark his preference of the Department / Office and post too.

(4) Candidates may appear for examination separately for more than one group if he has appropriate qualification for the captioned post. For different posts he shall have to submit separate application form and shall have to appear separately in the group-wise selection examination.

12. Declaration of results of examinations and issuance of list of successful candidates by the Board.—(1) The Board shall declare its results by 30th of April of current year of examination and shall issue a list of successful candidates on the basis of merit and also on the preference of the Departments for the groups as mentioned in rule 7.

(2) The Board shall issue a joint list of successful candidates based on the marks achieved by them in which the Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / Women / Physically Challenged / Ex-servicemen shall be kept in the open category.

(3) If any candidate belonging to the Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes finds the rank in the unreserved (open) category on the basis of merit, then he shall be considered in the unreserved category and such candidate shall not be counted in his respective reserved category.

(4) Any candidate belonging to reserved category shall be adjusted against unreserved posts, if he is found equally qualified with the unreserved candidate without any relaxation. Such candidate shall not get any age relaxation.

(5) After issuing a joint open list by giving the benefit of reservation, a separate list of successful candidates of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes shall be issued in which the names of eligible candidates from concerned reserved category shall be included on the basis of horizontal reservation system also.

(6) If a candidate of the reserved category namely women/ Ex-Servicemen/Physically Challenged finds a place in the unreserved category, on the basis of merit, he shall be counted in the unreserved horizontal category. Thereafter horizontal reservation in the category wise list shall only be given to the candidate relating to the category concerned. Candidates of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes/ Women, Physically Challenged and Ex-Servicemen may get place in the related category/compartments.

13. Recommendations of Board for appointment.—(1) The Board shall recommend the names of successful candidates for appointment to the concerned department according to the posts of the bonafide vacancies as per sub-rule (1) of rule 12.

(2) The concerned Department shall examine the required documents relating to qualification and complete the formalities of names of candidates sent by the Board and shall issue the order of appointment.

(3) Selected candidates shall be allocated a department where the candidate shall have to join by the last date mentioned in the appointment order, failing which his candidature in the concerned examination shall be cancelled automatically.

(4) If any department/Head of the department/office has not submitted the details of vacant posts by the date fixed earlier, then such information of available approximate vacancies in the concerned groups which shall be converted into actual vacancies shall positively be submitted by the department to the Board by the 15th of July of the examination year, in respect of the vacancies so provided by the department/Head of the department/offices to the Board. Remaining successful candidates finding place in the qualifying list shall be required to furnish their preference of department, so that the Board may forward their names in accordance with the merit list. The Board shall give instructions to the departments to complete the appointment procedure by the 15th of August, of the examination year. On the basis of options so received, Board shall send the name of the candidates to the concerning departments on the basis of merit to proceed for the issue of the appointment orders by allotting departments by the 15th of August of the examination year positively. Candidates shall be liable to join the office of their preference by the last date fixed by the department, failing which his candidature in the concerned examination shall be cancelled automatically.

14. Duration of validity of the final list of successful candidate.—(1) The final list of the successful candidates in the examination in any recruitment year shall be valid upto 18 months from the date of declaration of the final list, but shall become invalid after declaring the results of next years examination.

(2) The Board shall make preparations for next examinations when 6 months time for the validity of final list remain that is the month of January :

Provided that till the date of issuance of new final list of successful candidates, if the Board has sent the names of candidates to the concerned Department, then the department may issue the appointment order of the candidates and the new list shall not adversely affect the previous one.

15. Verification of certificates and procedure for appointment.—(1) On the basis of final list of successful candidates in the examination, the department shall verify the Degree/Diploma/Certificate of educational technical and professional qualification. If there is any necessity to conduct any departmental examination for candidates, the same shall be conducted by the concerned department and such examination shall not be conducted by the Board.

(2) It shall be the responsibility of the concerned department to complete the necessary action in respect of the appointment, verification of the certificates/character certificate of candidates and other formalities as per the guidelines issued by the General Administration Department.

16 Reservation.—(1) As per the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the following vertical reservation shall be applicable to the candidates:—

Scheduled Tribes - 20%

Scheduled Castes - 16%

Other Backward Classes - 14% :

Provided that for reservation on the district level posts shall be given as per the districtwise reservation roaster, issued by the General Administration Department shall apply.

(2) Horizontal Reservation—

(a) As per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, 30 percent Horizontal reservation shall be applicable to women candidates.

(b) A total 6 percent Horizontal reservation shall be given to the persons with disability or physically challenged. 2% each for hearing, visually and orthopedically disabled:

Provided that the reservation shall be made as per the posts identified and marked by the concerned department for the persons with disability or physically challenged candidates.

(c) The ex-servicemen belonging to Madhya Pradesh shall get (horizontal reservation) 10% reservation for Class-III and 20% for Class-IV, respectively according to Madhya Pradesh Civil Service (Reservation of Vacancies for Class III and IV) Rules, 1985.

(3) (a) Calculation of all types of reserved categories and mentioning the details of such reserved posts in the requisition form the total responsibility shall lie on the department. The number of posts shall not be calculated by the Board, if any error of calculation is found, the Board shall not be responsible.

(b) Verification of percentage of physical disability in physically challenged or persons with disabilities candidates shall be verified by the Medical board and in case of Ex-servicemen the same shall be verified by the Director, Sainik Welfare Board, Madhya Pradesh and the process of verification shall be done by the Department/Head of the Department/Institution and not by the Board.

(c) In respect of all kind of reservations mentioned above, reserved categories shall be provided exemption/relaxation in accordance with the provisions of acts and rules applicable in this behalf.

17. Application Fee.—The application fee shall be decided by the Executive Committee of the Board, which shall also include the examination fee. The relaxation of fee which is applicable to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be applicable to the domiciles of Madhya Pradesh who have been declared by the Government as Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes only :

Provided that the candidates belonging to the category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of other states shall be deemed to have been included in the unreserved category :

Provided further that the candidates belonging to Other Backward Classes and are coming in creamy layer shall not be eligible for the benefit of reservation relaxation in age limit or any other benefit of the category.

18. Travelling allowances.—The candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Physically Challenged candidates shall choose the nearest examination centre from their place of residence, the travelling expenses shall be reimbursed as per the guidelines of the General Administration Department.

Such candidates who are domicile of Madhya Pradesh and belonging to the categories of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as notified and physically challenged candidates as certified by the Government shall be reimbursed travelling expenses in cash for appearing in the examination in the examination centre. After closer of last date of application the list of reserved category candidates shall be made available to the concerned department approximately for settlement of travelling expenses. In order to be entitled for travelling expenses the candidates shall submit documentary proof with caste certificate issued by the Competent Authority of the Government which shall be self attested and a copy shall be attached thereto, then only the travelling expenses shall be reimbursed to the candidate.

19. Examination Centre.— From the date of issuance of these rules the recruitment to all such posts of the Government which are not in the ambit of Madhya Pradesh Public Service Commission, the examination shall be conducted by the Board as per the procedure laid down in these rules. For this purpose the Government and semi Government institutions coming under Higher Education department Technical Education and Skill Development Department, Medical Education Department and School Education may accept the request of the Board to have the examination centre. Such proposal of the Board may either be accepted or may be rejected by the concerned department when there is an examination of Union Public Service Commission is taking place on such centre on the same date of examination of Board. In addition to this the services of the officers/employees of the said departments may also be taken for the conduct of examinations of the Board. Hence, services of the said staff shall be deemed to be the essential services.

20. Disqualification.—(1) The Board shall accept only such date of birth of the candidate which is mentioned in the High School, Higher Secondary or any such equivalent certificate which mentioned the actual date of birth. Once a date of birth is mentioned in the application form, the request for change of date of birth shall not be considered in any situation and such application shall be rejected. Board shall not be liable to return the examination fee for such rejected application.

(2) (a) Any male candidate whose marriage is not registered for the reason that he has more than one living wife or whose wife is alive and he remarries in such a situation his remarriage is not liable for appointment in the service such candidate shall not be eligible unless the Government is of the opinion that there is a specific reason or justification for such remarriage and then only such relaxation under these rules may be given to such a male candidate.

(b) Any female candidate whose marriage is not registered for the reason that her husband has more than one living wives or whose one wife is alive and she remarries in such a situation her remarriage is not liable for appointment in the service, such candidate shall not be eligible unless the Government is of the opinion that there is a specific reason or justification for such a remarriage and then only such relaxation under these rules may be given to such a female candidate.

(c) Any candidate shall be eligible for appointment if he does not have a third child after 26th January, 2001 as per the provisions of rule 6 of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, as amended from time to time :

21. Mental and physical status of the candidate.—Candidate must have a sound mind and physical fitness and must not have such a physical disability which may adversely affect the discharge of special duties, if any candidate after a medical examination which the Government of Appointing Authority prescribed, is not found satisfactory with those expectations, then he shall not be appointed only those candidates shall be medically examined who are likely to be appointed.

22. Rejection of application form.—The applications which are incomplete and are not in a prescribed manner or in the absence of examination fee shall be rejected and the decision of the Board shall be final.

23. Claim of reservation by the candidate.—(1) Candidate claiming reservation shall submit an appropriate and valid caste certificate issued by the Competent Authority.

(2) The candidate claiming reservation shall have the Caste Certificate issued by the Sub-Divisional Officer (Revenue) of any district of Madhya Pradesh and shall also submit the original certificate on demand of the Board or the Appointing Authority. If the candidate fails to submit such certificate, the claim of such candidature/selection shall be rejected, the responsibility of such cancellations shall lie on the candidate alone.

(3) Ex-serviceman claiming age relaxation shall submit the original certificate issued by his Ministry or Office last attended in which the date of joining and superannuation from the defence services are mentioned, if he has been discharged on the recommendations of economic wing or declared surplus, his registration in the Employment Exchange if any, a certified copy shall be submitted along with the application form.

24. **Grounds for cancellation of candidature.**—A candidate who is found to be guilty in any of the following grounds, his candidature shall be cancelled, who has,—

- (a) obtained a favour in any form either in the written examination or in the interview which influencing his candidature; or
- (b) indulged himself impersonation;
- (c) arranged the act of impersonation from somebody; or
- (d) forged records or submitted records which have been altered; or
- (e) given such statements which are and has concealed any material information which was necessary for the selection; or
- (f) participated in the examination with any other irregular or unfair means; or
- (g) used or tried to use any unfair means in the examination hall; or
- (h) threatened or caused to be threatened any physical injury to the invigilators engaged in the examination duty in the examination hall; or
- (i) infringed the guidelines or order given to the candidate in the admission card and verbal instructions given by the invigilator or any other employee in the examination hall; or
- (j) misbehaved in the examination hall or in the interview which leads the conviction under the law for criminal prosecution.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.